



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 503) पटना, सोमवार, 24 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2020

एस0ओ0 158 दिनांक 24 अगस्त 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 83 दिनांक 27 जनवरी, 2020, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 64 दिनांक 27 जनवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) के स्थान पर "(ii) श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, राज्य कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना" शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं0सं0-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-9)-1471)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

24 अगस्त 2020

एस0ओ0 158 दिनांक 24 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं0सं0-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-9)-1471)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 24th August 2020

S.O. 158 dated the 24th August 2020—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 83, dated the 27th January, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 64, dated the 27th January, 2020, namely:-

In the said notification, for serial no. (ii), the words "(ii) Shri Sujay Prakash Upadhyay, Additional Commissioner of State Tax, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna " shall be substituted.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017 (Part-9)--1471)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 503-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>